

आरपीएफ ने एक दर्जन अवैध वेन्डर पकड़े

कानपुर। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सेंट्रल स्टेशन पर चलाए गए अभियान के दौरान दौड़ाकर एक दर्जन अवैध वेन्डरों को दबोच लिया गया। इनसे मिली खान-पान की वस्तुएं नष्ट कर दी गईं। इन अवैध वेन्डरों की घरपकड़ के लिए आरपीएफ इंस्पेक्टर द्वारा विशेष टीम गठित की गई। इनमें सादे कपड़ों में भी दरोगा व सिपाहियों काया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टीम के लोगों ने प्लेटफॉर्म दो पर धेराबंदी वाले अंदाज में दोनों छोरों से एक साथ छपा मारा। जिसका नतीजा यह रहा कि अवैध वेन्डर एक ओर से भागे तो दूसरी तरफ पकड़ लिये गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इनमें कुछ अवैध वेन्डरों ने तो अपने पास से खान-पान की वस्तुएं फेंक दीं। अभियान के दौरान एक दर्जन अवैध वेन्डरों को दबोचा गया।

दक्षिणप्रदेश विद्युत वितरण निगम लि.
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत वितरण मण्डल, एअरलि कालोनी,
विद्युत नगर-2, कोर्टी-244001। E-Mail: oad@hazri@gmail.com,
CIN : U31200UP200355GC027460

ई निविदा सूचना
विद्युत वितरण मण्डल, कोर्टी के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों पर दो नवों के प्रविष्टि एवं पोथ्य के वारों से निम्न कार्य हेतु ई निविदा अनुरोध की जाती है।

1. **ई निविदा संख्या - 05/विद्युत/बी/2017-18**
कार्य - विद्युत वितरण कार्य, कोर्टी में 1 से 4 किलो वाट तक जमीनटर्न कनेक्शन/नये कनेक्शनों पर 5000 सिंगल फेज वेन्डर लगाने का कार्य। 2. **ई निविदा संख्या - 06/विद्युत/बी/2017-18** कार्य - विद्युत वितरण मण्डल, कोर्टी में 1 से 4 किलो वाट तक अन्पैरिटेड कनेक्शन/अपने कनेक्शनों पर 6000 सिंगल फेज वेन्डर लगाने का कार्य।

निविदा प्रेषण सम्बन्धी सभी जानकारीयों का पता नगर के ई-प्रोक्वायरेमेंट पोर्टल <https://tenderup.nic.in> पर उपलब्ध रहेगी, जहाँ से कम्प्लेनट किया जा सकता है। अनौद्योगिकीय कार्य को निविदा/अनुमति बिना कोई कारण बताये रिजक्त करने का अधिकार होगा।

पत्रांक - 2010/विद्युत/कोर्टी दिनांक - 03.11.2017
अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, कोर्टी

**प्रतिभा गौतम हत्याकांड
हत्यारोपी पति की दूसरी
जमानत अर्जी भी खारिज**

■ सहारा न्यूज ब्यूरो
कानपुर। न्यायाधीश प्रतिभा गौतम हत्याकांड में आरोपी पति अभियेक मनु की दूसरी जमानत अर्जी भी न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के साथ ही हत्याकांड की सुनवाई आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को नियत की गयी है।



जज ने बचाव पक्ष की दलीलों को किया खारिज
मुकदमे की अगली सुनवाई 17 नवंबर निर्धारित

दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं राजीव मोहन (दिल्ली) और दुर्गेश परिहार ने उसकी जमानत के लिये न्यायालय में द्वितीय प्रार्थना पत्र लगाया था, जिस पर सुनवाई 3 नवंबर को मुकदमे की गयी थी। शुक्रवार को अभियेक को कड़ी सुरक्षा में जेल से लाकर न्यायालय में पेश किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं राजीव परिहार ने कई दलीलें देकर अभियेक की जमानत मंजूर करने का अनुरोध किया, जिसका अभियोजन पक्ष के वकील राजेश्वर तिवारी ने कड़ा विरोध किया। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने अभियेक की द्वितीय जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। अब हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई 17 नवंबर को मुकदमे की गयी है।

संदिग्ध हाल छात्र की

कानपुर (एसएनबी)। पन रात वीएड के छात्र की संदिग्ध गयी। सूचना मिलते ही मौके ने शव को पोस्टमार्टम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र की स्पष्ट नहीं हो सका है। पनकी रतनपुर निवासी टुक के ड्राइवर हैं। परिवार में वेटा मोहित त्रिपाठी(22) था विवाह हो चुका है। रमाकांत अमित बीएड की पढ़ाई कर घर से किसी काम से निकलना शाम को उसने रतनपुर में अववेश को फोन कर बताया कालोनी के पीछे हूँ और सीने रहा है। इसके बाद मामा उसे पहुंचे तो देखा कि जमीन पर आनन फानन में उसे पास के भर्ती करा दिया। जहां से डॉक्टर के लिए रिफर कर दिया है देखते ही मोहित को मृत घे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे ने शव को पोस्टमार्टम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के होने पर बिसरा सुरक्षित रखा

दो जग

कानपुर (एसएनबी)। एक साल से दो स्थानों में फर्जीवाड़ा सामने आने महानिदेशक के बाद राष्ट्रीय के निदेशक व यूपीएचएसए सीएमओ से रिपोर्ट तलब व पूरे साल के वेतन की रिकव साथ ही तथ्य छिपाने के फर्जी दर्ज होगी।

कार्यालय छावनी परिषद, कानपुर

सूचना

म.नं. सी/4 सर्वे नं. 551/64 खपरा मोहाल छावनी, कानपुर में श्री नरेंद्र प्रसाद यादव पुत्र स्व. मोहब्बत सिंह. सुरेश चन्द्र कमलेश कुमार पौत्रगण स्व. मोहब्बत एवं गुरु प्रसाद पुत्र बाबू लाल के स्थान पर अपने पुत्रों के नाम दखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2015 को इस कार्यालय में प्रेषित किया है। उक्त भवन के दखिल खारिज के सम्बन्ध में आवेदक कर्तव्यों ने मृत्यु प्रमाण पत्र स्व. बाबू लाल एवं स्व. मोहब्बत की प्रमश- दिनांक 31.09.1976 एवं 20.08.1986 प्रेषित किया है तथा पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र एस.डी.एम. सदर, तहसील उन्नाव द्वारा दिनांक 06.01.2015 भी प्रेषित किया है।

ऐसे व्यक्तियों में जो कि इस सम्पत्ति के बाबत अपना भी हक समझते हैं अपनी आपत्तियां इस प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर मय साक्ष्य/ दस्तावेज के कार्यालय छावनी परिषद कानपुर में दखिल कर सकते हैं। अन्यथा उपरोक्त मकान पर उक्त आवेदकों का नाम उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर अंकित करने हेतु निर्णयवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

(हरेंद्र सिंह)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, कानपुर

CBK/Land/K-1783
Dated: 03 Nov 2017

Frontier Springs Ltd.
Regd. Off: R3/254 Kapsi Road, Raera, Kanpur District - 209304
Tel. No. 0511-248212-13, Fax No. 0511-248214, Website: <http://www.frontiersprings.co.in>
Email: ca@frontiersprings.co.in, CIN: L17100UP1809PL000212

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 (a) read with Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 13th November 2017, at 1:00 p.m. at Km 25/4 Kapsi Road, Raera, Kanpur Dehat - 209304 To consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results for the year ended September, 30, 2017. The information contained in this notice is also available on the Company's Website www.frontiersprings.co.in and BSE Limited (www.bseindia.com) Pursuant to this, the company has decided to close the trading window from Friday, November 03, 2017 to Thursday, November 16, 2017 (both days inclusive) for all its directors, officers and designated employees.

For Frontier Springs Limited
Dr. Dhruv Bhasin
(Company Secretary & Compliance Officer)

Date: 02.11.2017
Place: Kanpur